



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269801
CG-DL-E-03022026-269801

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947

No. 458]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2026

का.आ. 487(अ).— जबकि, मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2A, लॉर्ड सिन्हा रोड, प्रथम तल, मिडलटन रो, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700071, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बीकानेर, राजस्थान में स्थित उनकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/25/2025-PG दिनांकित 27.02.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बीकानेर, राजस्थान में स्थित उनकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक युगपक्ष (हिन्दी में) दिनांक 11.07.2025, द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 11.07.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र

दिनांक 02.08.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने 12.12.2025 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर दो टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, इसका उत्तर मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिया गया है और आगे कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बीकानेर, राजस्थान में स्थित उनकी 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु पारेषण प्रणाली" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की सौर ऊर्जा परियोजना (जनरेशन स्विचयार्ड, गांव करणीसर भाटियान, जिला बीकानेर, राजस्थान में स्थित) से बीकानेर- III (आईएसटीएस पीएस) डी/सी टावर पर 220 केवी एस/सी लाइन।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला
1.	बरजू	पूगल	बीकानेर
2.	बराला	पूगल	बीकानेर
3.	करणीसर भाटियान	पूगल	बीकानेर
4.	सरदारपुरा	छत्तरगढ़	बीकानेर
5.	लाखूसर	बीकानेर	बीकानेर
6.	दीनसर	पूगल	बीकानेर

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों द्वारा इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइन का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ हिस्सा) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 में दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/13/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER
ORDER

New Delhi, the 2nd February, 2026

S.O. 487(E).— Whereas M/s Deshraj Solar Energy Private Limited (DSEPL) having its registered address at 2A, Lord Sinha Road, First Floor, Middleton Row, Kolkata, West Bengal-700071, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “transmission system for providing Connectivity to M/s Deshraj Solar Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.”

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/25/2025-PG dated 27.02.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “transmission system for providing Connectivity to M/s Deshraj Solar Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.”

M/s Deshraj Solar Energy Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dainik Yugpakash (in Hindi) dated 11.07.2025, The Indian Express (in English) dated 11.07.2025, and in Weekly Gazette of India dated 02.08.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s Deshraj Solar Energy Private Limited has submitted an affidavit dated 12.12.2025 declaring that two observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the Newspaper/official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Deshraj Solar Energy Private Limited and no further observation/representation is received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “transmission system for providing Connectivity

to M/s Deshraj Solar Energy Private Limited for its 300 MW Solar Power Project in Bikaner, Rajasthan.” The following overhead line is covered under this scheme:

1. Deshraj Solar Energy Private Limited’s solar power project (Generation switchyard located in village Karnisar Bhatiyan, District Bikaner, Rajasthan) to Bikaner- III (ISTS PS) 220 kV S/c line on D/c tower.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Rajasthan:

Sr. No.	Name of the Villages	Tehsil/Taluk	District
1.	Barju	Poogal	Bikaner
2.	Barala	Poogal	Bikaner
3.	Karnisar Bhatiyan	Poogal	Bikaner
4.	Sardarpura	Chhatargarh	Bikaner
5.	Lakhoosar	Bikaner	Bikaner
6.	Deensar	Poogal	Bikaner

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Deshraj Solar Energy Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s Deshraj Solar Energy Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No.2 5-16/13/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)